

चन्द्रगीर / रामनाथ

116/16

दिनांक

आज्ञा पत्र

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आ  
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व  
आज्ञानुसार दिनांक 1.2.14 को पेश हो

12.4.23

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है।  
इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस  
आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि  
अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें  
पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 10.0.23 को  
पेश हों।

10.08.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांत/रेस्पोंडेंट  
अपील अधिकारी महोदय आज 10/08/23  
अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10.08.23  
को पेश हो

9.10.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है  
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के  
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर  
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली  
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक  
30.01.23 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि  
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

nd

30/11/24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि  
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें  
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस  
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गंभीर  
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज  
की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनार होकर मक  
से कम होकर बाद तत्पश्चात् तत्काल दाखिल दफ्तार हो।

nd

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
घटने राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्सुन)

